



प्रेस विज्ञप्ति

09-12-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कैलाश चंद्र गर्ग और 14 अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 17.11.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। इस मामले में माननीय न्यायालय ने 05.12.2025 को धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया।

ईडी ने सीबीआई, एसी-IV, व्यापम, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और कई अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।

ईडी की जांच में पता चला कि कैलाश चंद्र गर्ग द्वारा नियंत्रित मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यूको बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट (ईपीसी) के माध्यम से धोखाधड़ी से लगभग 110.50 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया था। हालांकि इन निधियों को वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने के रूप में दिखाया गया था, लेकिन जांच में यह स्थापित हुआ कि वास्तव में कोई खरीद या निर्यात नहीं किया गया था। इसके बजाय, व्यावसायिक गतिविधियों का झूठा आभास कराने के लिए अंबिका सॉल्वैक्स लिमिटेड की विभिन्न समूह संस्थाओं के माध्यम से चक्रीय लेनदेन में निधियों का हेरफेर किया गया। ऋण की राशि को बाद में कैलाश चंद्र गर्ग द्वारा नियंत्रित संबंधित कंपनियों और फर्मों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से अचल संपत्तियों में निवेश और नकद निकासी सहित व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट लाभों के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे हेरफेर की गई धनराशि को छिपाया गया और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी ने इससे पहले इस मामले में 27.67 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को जब्त करने के लिए दो अंतरिम कुर्की आदेश जारी किए थे।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।